L. A. BILL No. XXXVIII OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT, 2021.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३८ सन् २०२१ ।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

सन् १९५८ का ६० ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र स्टाम्प (द्वितीय संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२१ कहलाए ।

(२) यह ५ अगस्त २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९५८ का महा. ६० की धारा २ में संशोधन।

सन् १९५८ का ६० ।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिस इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २, का खण्ड (छ), के उप-खण्ड (चार) में, " बैंककारी कंपनी " शब्दों के पश्चात्, निम्न निविष्ट किया जायेगा,

अर्थात :—

सन् १९८६ का १ ।

" और उसमें विनिर्दिष्ट योजना की मंजूरी के संबंध में रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९८५ की धारा १८ या १९ के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक आदेश या

संकल्प, योजना के अनुमोदन के संबंध में दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ की धारा ३१ के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधी अधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक आदेश । "। सन् २०१६ का ३१ ।

सन् १९५८ का ६० की अनुसूचि एक में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची एक के अनुच्छेद २५ के खण्ड (घक) के स्तंभ (१) में " बैंककारी कंपनी " शब्दों के पश्चात निम्न जोडा जायेगा अर्थात् :—

" और उसमें विनिर्दिष्ट योजना के मंजूरी के संबंध में रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९८५ की धारा १८ या १९ के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक आदेश या संकल्प, योजना के अनुमोदन के संबंध में दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ की धारा ३१ के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधी अधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक आदेश। "। सन् १९८६ का १ । सन् २०१६ का ३१ ।

विधिमान्यकरण ।

४. किसी न्यायालय या मूल अधिनियम में के प्रतिकूल किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्टाम्प शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण और संग्रहण, उक्त अधिनियम के अधिन प्राधिकरणों द्वारा ऐसे निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण के अनुसरण में की जानेवाली कोई कार्यवाही समेत, मूल अधिनियम अनुसुचि एक में अनुच्छेद २५ के उपबंधों के अधीन कृत्य या तात्पर्यित कार्य इसी प्रकार विधीमान्य और प्रभावी समझा जायेगा मानों कि, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२१ (जिसे इसमें आगे इस धारा में " संशोधन अधिनियम " निर्देशित किया गया है) सब तात्विक समयों पर निरंतर प्रवृत्त हो रहे थे और तद्नुसार, — सन् २०२१ का महा. ।

(क) स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में, मूल अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों द्वारा कृत या की गयी सभी कार्यवाहियाँ या बातें सभी प्रयोजनों के लिए मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कृत या की गई समझी जायेगी ;

(ख) इस प्रकार उद्ग्रहीत और संग्रहीत स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय करने के लिए उक्त प्राधिकरणों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ बनाई रखी या जारी रखी नही जायेगी ;

(ग) कोई न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण में इसप्रकार में उद्ग्रहीत या संग्रहीत स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय का निर्देश देनेवाली कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित नहीं करेगा ।

(२) संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है की, उप-धारा (१) में कोई भी बात, किसी व्यक्ति को ,—

(क) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क के किसी निर्धारण, पुनर्निधारण, उद्ग्रहण या संग्रहण, संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधो के अनुसरण में प्रश्नगत करने से, या

(ख) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन स्टाम्प शुल्क के जरिए उसके द्वारा देय राशि से अधिक अदा किए गए किसी स्टाम्प शुल्क प्रतिदाय का दावा करने से, किसी व्यक्ति को रोकते हूए नही समझी जायेगी ।

उद्देश्यों का तथा कारणों का वक्तव्य

उच्च न्यायालय के आदेश, राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण कंपनी (एनसीएलटी) और कंपनी के समाभोजन, विलयन, निर्विलयन, प्रबंधन या पुनर्गठन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, २०१३ (सन २०१३ का १८) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी पुष्टी और बैंककारी कंपनियों के सममीलन या पुनर्गठन के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ (सन् १९४९ का १०) की धारा ४४ क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) (जिस इसमें आगे " उक्त अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के खण्ड (छ) में अंतर्विष्ट " अभिहस्तांतरणपत्र " की परिभाषा में समाविष्ठ किए है और उक्त अधिनियम की अनुसूची एक के अनुच्छेद २५ (घक) के अधीन स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है ।

२. रुग्ण औद्योगिक कंपनीयों (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९८५ (जिसे इसमें आगे " एसआयसी अधिनियम " कहा गया है) की धारा १८ के अधीन समामेलन, पुनर्गठन आदि से समावेशित उसके रुग्ण औद्योगिक कंपनी पुनरुत्थान के रुप में रुग्ण औद्योगिक कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन या उचित प्रबंधन की योजना की मंजुरी के संबंध में उसके बीमार औद्योगिक कंपनी के पुनरुस्थान के भाग के रुप में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड **(बीआयएफआर)** का आदेश पारित किया गया है । **एसआयसी** अधिनियम की धारा १९ के अधीन भी ऐसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी को वित्तीय सहायता का उपबंध करने के लिए **बीआयएफआर** योजना मंजूर की गई है ।

कार्पोरेट ऋणी के पुनर्गठन और दिवालियापन संकल्प एनसीएलटी, दियालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ (२०१६ का ३१) (जिसे इसमें आगे " दियालियापन संहिता " कहा गया है) की धारा ३१ के अधीन संकल्प योजना अनुमोदित है, जिसमें, विलयन, समामेलन और निर्विलयन समेत कार्पोरेट ऋणी की पुनःसंरचना करने के लिए उपबंध शामिल है ।

एसआयसी अधिनियम के अधीन ऐसे बीआयएफआर और एनसीएलटी के ऐसे आदेश तथा दिवालियापन संहिता कंपनी के समामेलन, विलयन और निर्विलयन के लिए उपबंध करते है जिसमें एक कंपनी से अन्य कंपनी को आस्तियाँ और दायित्वों का योग या अंतरण या आबंटन जारी करने अंतर्विष्ट है ।

३. कंपनी के समामेलन, विलयन आदि से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के अधीन विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के संबंध में राजस्व में वृद्धि करने तथा स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने में एकसमानता लाने के उद्देश में सरकार ने, उच्च न्यायालय, एनसीएलटी और भारतीय रिजर्व बँक के उपयुक्त निर्देशित आदेशों की तर्ज पर बीआयएफआर और एनसीएलटी के ऐसे आदेशों पर भी स्टाम्प शुल्क कर प्रभार्य करना इष्टकर समझती है । चूँकि, दिवालियापन संहिता ५ अगस्त २०१६ से तत्समय प्रभावी हो गया है, सरकार, बीआयएफआर और एनसीएलटी के ऐसे आदेशों पर ५ अगस्त २०१६ से भूतलक्षी प्रभाव से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य करना इष्टकर समझती है । इसी प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) की अनुसूची एक की धारा २ का खण्ड (छ) और अनुच्छेद २५ (धक) का यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित है ।

ऐसे संशोधनों के पूर्व बीआयएफआर और एनसीएलटी के ऐसे आदेशों पर स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण करना और संग्रहण करना विधिमान्य करने के लिए यथोचित उपबंध करना भी प्रस्तावित है ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

बाळासाहेब थोरात,

राजस्व मंत्री ।

मुंबई,

दिनांकित १६ दिसंबर, २०२१।

(शा.म.मु.) एचबी १७२८-२(५०–१२-२०२१)

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ और ३ कंपनियों के समामेलन, विलयन आदि से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के अधीन विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के संबंध में, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में एकसमानता लाने के संकल्प योजना के प्रस्ताव के संबंध में दिवालियापन और संशोधन अक्षमता संहिता २०१६ उसमें विनिर्दिष्ट योजना की मंजूरी या की धारा ३१ के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक आदेश की मंजूरी के संबंध में, रुग्ण औद्योगिक कंपनीयों (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९८५ की धारा १८ या १९ के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रत्येक आदेश पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य करने की दृष्टी से, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) की अनुसूची एक में धारा २ और अनुच्छेद २५ (धक) का संशोधन करना प्रस्तावित करता है ।

विधेयक में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रुप में उसके अधिनियमितिकरण पर राज्य के समेकित निधि में से आवर्ति या अनावर्ति व्यय अंतर्विष्ट करे ।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तीयों का प्रयोग करते हूए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र स्टाम्प (द्वितीय संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२१ ई. पर पुरःस्थापना करने की अनुशंसा करते है ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २२ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई